KAAV INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
A REFEREED BLIND PEER REVIEW QUARTERLY JOURNAL
KIJAHS/ APR-JUN (2018)/VOL-5/ISS-2/A1 PAGE NO. 1-3
ISSN: 2348- 4349 IMPACT FACTOR (2018) – 8.0121
WWW.KAAVPUBLICATIONS.ORG

भारत में हिन्दी भाषा का यथार्थ

[1]डॉ0 जय प्रकाश पटेल

[1]64ए, बी0एच0एस0 अल्लापुर, इलाहाबाद, उ0प्र0

[2]अंजू सिंह पटेल

[2]शोधछात्रा, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सारांश

भारत विविधता का देश है। यहां कई भाषा प्रचलन में है। इसमें हिन्दी भाषा बोलने, पढ़ने एवं लिखने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के किसी कोने में चले जाइए हिन्दी समझने वाले नागरिक अवश्य मिल जायेगें। इसके बावजूद वर्तमान सदी में हिन्दी के प्रति उपेक्षा का व्यवहार समझ से परे है। कुछ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में हिन्दी बोलने पर छात्रों को आर्थिक दण्ड सहना पड़ता है। कुछ व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलकर स्वयं में गर्व महसूस करते हैं जबकि बहुसंख्यक नागरिक उनके शब्दों के उपयुक्त अर्थ समझ नहीं पाते हैं। सच तो यह है कि हम हिन्दी भाषा को छोड़कर सामान्य भारतीय जनमानस से जुड़ नहीं सकते हैं। हिन्दी भाषा हमारे आस्था का विषय है। हम अन्यत्र भाषा के सहारे भौतिक विकास कर सकते हैं परन्तु हृदयगत शक्ति मातृभाषा में मिलती है। इसी कारण हमारे देश के उच्च दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक नेता एवं भाषा वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर हिन्दी भाषा का समर्थन किया है। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दी भाषा को भारतीय स्वतंत्रता की भाषा माना है। अतः हम भारतीय का कर्त्तव्य है कि हिन्दी भाषा में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि का प्रयास करना चाहिए।

(शोध–पत्र)

मानव अपने उद्भव काल से ही भाषा का प्रयोग कर रहा है। इससे वह अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है और दूसरे के विचार को आत्मसात करता है। भाषा के सन्दर्भ में डॉ0 कृष्ण बीर सिंह ने लिखा है–''भाषा, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का एक समूह है।''[1] डॉ0 सिंह के विचारों से स्पष्ट होता है कि भाषा के ध्वनि संकेतों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। निरर्थक ध्वनि संकेतों को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक ध्वनि को भाषा कह सकते हैं। इसमें मौन संकेत भी शामिल है। फिलहाल हम भाषा के अभिप्राय पर न जाकर भारत में हिन्दी भाषा विषय पर विचार करते हैं।

हमारे देश में सदियों से अनेक भाषा का प्रचलन रही है। सभी भाषाओं का क्षेत्र विशेष में अस्तित्व है। वे अपने क्षेत्र में मातृभाषा के साथ गहरी आस्था का विषय बनी है। इसी कारण हिन्दी भाषा में बोलियों का विशेष महत्व है। इन्हीं की सहायता से हिन्दी भाषा सम्पूर्ण भारत में स्थापित है। भारत के किसी कोने में चले जाइए हिन्दी भाषा को बोलने एवं समझने वाले नागरिक अवश्य मिल जाएगें। माना कि कुछ क्षेत्रों में हिन्दी का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है परन्तु एकात्मक दृष्टि से हिन्दी ही अन्य भारतीय भाषाओं को जोड़ती है। इसी कारण भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश में हिन्दी को देश के विकास से जोड़ने का प्रयास किया जाता है–''भारत के विभिन्न भाषा–भाषियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का अध्ययन जनतंत्र के हर एक विकासोन्मुख व्यक्ति के लिए अनिवार्य है।''[2]

कुछ आलोचक विद्वानों का मानना है कि इक्कीसवीं सदी में हिन्दी की विकास गति रूक गयी है। वह राष्ट्रीय भाषा से क्षेत्रीय भाषा बनती जा रही है। वर्तमान सदी में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना कठिन है। हिन्दी मात्र पुरानी पीढ़ी के लोगों तक सीमित है। नया युवा जोश हिन्दी से दूरी बनाया है। इस विषय पर डॉ0 महेन्द्र सिंह राणा लिखते हैं–''इक्कीसवीं सदी के आरम्भिक वर्षों में हिन्दी को राष्ट्र भाषा मानने वाले या तो हिन्दी प्रेमी हिन्दी भाषी हैं या पुरानी

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org

पीढ़ी के कुछ भारतीय नेता लोग।''[3] हालांकि डॉ0 राणा हिन्दी की प्रगति धीमी होने का कारण जानने का प्रयास किया है। उन्होंने कई प्रश्नों पर विचार किया जैसे–इक्कीसवीं सदी में हिन्दी को सामाजिक रूप में दोयम दर्जे की भाषा क्यों समझी जाती है? हिन्दी के अध्यापक समाज में क्यों प्रतिष्ठित नहीं है? आदि। परिणामस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ''इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में हिन्दी के अधिकतर अध्यापकों को समाज के लोगों द्वारा समुचित सम्मान न दिए जाने के पीछे शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षातंत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार तो एक प्रमुख कारण है ही, हिन्दी शिक्षकों में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि, निष्ठा, ईमानदारी तथा परिश्रमशीलता न रखना और विषय के अंगोंपांगों के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतना भी गौण कारण है।''[4] शिक्षकों की उदासीनता और शिक्षातंत्रों के भ्रष्टाचार के बावजूद हिन्दी भाषा की प्रगति कमजोर नहीं हुयी है। हिन्दी भारत के साधारण जनता की भाषा है। उसकी जनता में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसी कारण हिन्दी शिक्षक के साथ इतिहास, विज्ञान, सामाजिक विषय आदि के शिक्षकों ने हिन्दी भाषा में सर्वाधिक कार्य करने लगे हैं। सर्वविदित है कि शिक्षा का भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। विषय ज्ञान के लिए उसी भाषा के साथ उसी शब्दावली का प्रयोग होना आवश्यक है जिस भाषा एवं शब्दावली का समाज में प्रचलन हो। जनसामान्य की भाषा ही शिक्षा का माध्यम हो सकती है परन्तु भारतीय स्वतंत्रता के समय अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। इक्कीसवीं सदी में बहुसंख्यक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों है। बहुसंख्यक शिक्षक एवं छात्र हिन्दी भाषा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भारतीय समाज का विश्वविद्यालयों एवं शासन पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसी कारण हिन्दी भाषा को राजनेता के साथ शिक्षक खुले मन से स्वीकार करते हैं। ''हिन्दी को बहुसंख्यक समाज, साहित्य, राजनीतिक, इतिहास, विज्ञान, विधि तथा शासन की ओर से स्वीकृति प्राप्त हुयी है।''[5] इसके बावजूद कुछ विद्वान हिन्दी भाषा का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि हिन्दी से देश का विकास रूक जाएगा। वे यह भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं कि अंग्रेजी भाषा के अभाव में हम भारतीय बाजारवादी दौड़ में पिछड़ जायेंगे। हिन्दी भाषा के अत्यधिक प्रयोग से नई–नई तकनीक का लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारा देश पाश्चात्य सभ्यता एवं ज्ञान से दूर हो जाएगा। हम विश्व स्तर पर पिछड़े देशों की श्रेणी में रहेगें। इसके विपरीत अधिकांश विद्वानों का मानना है कि हिन्दी भाषा से ही भारत का विकास हो सकता है। दरअसल किसी देश की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में उस देश या राष्ट्र की भाषा अहम भूमिका रखती है। इसलिए भारतीय ठान ले तो विश्व बाजार को अपनी मातृभाषा हिन्दी में आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चूंकि हिन्दी भाषी नागरिकों की जनसंख्या अधिक है। इस कारण विदेशों में बनने वाले ज्यादातर उत्पादित सामग्री को बेचने के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग करने लगेंगे। जितनी आवश्यकता हमें सामग्री खरीदने की है, उससे अधिक आवश्यकता उत्पादित सामग्री बेचने की होती है। विदेशों से नयी तकनीक प्राप्त करने के लिए अनुवादक की सहायता ली जा सकती है परन्तु अपनी मातृभाषा को ठुकरा कर विकास की कल्पना व्यर्थ है। इस सम्बन्ध में कन्हैया लाल गांधी ने लिखा–''एक भाषा लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ सकती है, दो भाषाएँ निःसंदेह समाज को तोड़ देगी क्योंकि भारतवासी संगठित होना चाहते हैं और एक सामाजिक संस्कृति विकसित करना चाहते हैं इसलिए सभी हिन्दुस्तानियों का कर्त्तव्य है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा घोषित करें।''[6] श्री गांधी का मानना है कि यदि किसी राष्ट्र पर जब कोई विदेशी भाषा हावी होने लगती है तब उस राष्ट्र की संस्कृति समाप्त होने लगती है। संस्कृति क्षेत्र या जाति की भाषा के माध्यम से जीवित रहती है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा संस्कृति की वाहिका होती है। भारत में हिन्दी भाषा ही हमारी भारतीय मूल्यपरक संस्कृति को सुरक्षित रख सकती है। पंजाबी भाषा की मशहूर कवयित्री श्रीमती अमृता प्रीतम का कहना है–''मेरे ख्याल से हिन्दी हमारी संस्कृति और चिन्तन के नजदीक है। अंग्रेजी एक उन्नत भाषा होते हुए भी हमारी संस्कृति से दूर है। हमारे आदान–प्रदान की पहली कड़ी हिन्दी बन सकती है।''[7]

हिन्दी भाषा में कई ऐसे पारिवारिक रिश्तों के शब्द हैं जो अन्य भाषा में नहीं मिलते हैं। ''हिन्दी भाषी समाज में संयुक्त परिवार की संकल्पना/प्रथा के कारण कई ऐसे नाते–रिश्तों के शब्दों का प्रयोग व्यवहार होता है जिनके समनार्थी शब्द भारत तथा विदेशों की कई भाषाओं में अनुपलब्ध है।''[8] हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में रिश्तों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। किसी गांव की लड़की को समस्त गांव वाले पुत्री जैसा व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार रिश्तों को तीन–चार पीढ़ियों तक स्वीकार करते हैं। ऐसी भारतीय सभ्यता में हिन्दी भाषा ही स्वीकार्य हो सकती है। इसी कारण भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, साथ में कई विदेशी भाषाएं आयी परन्तु हिन्दी को हमारी संस्कृति से अलग नहीं कर पायी है। हिन्दी ही हमारी सशक्त भाषा है। जिस प्रकार सभी संस्कृति को आत्मसात कर भारतीय संस्कृति स्वयं को अक्षुण्य बनाए रखी है उसी प्रकार हिन्दी भाषा भी कई भाषाओं को आत्मसात करके स्वयं के प्रभावशाली अस्तित्व को बनाए रखा है। भारत में विदेशी भाषाओं के साथ कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं परन्तु हिन्दी सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। ''आज भी हिन्दी भारत की सर्वप्रमुख भाषा है। यह भारत की राजभाषा है और एकमात्र सम्पर्क भाषा है।''[9] कुछ विद्वानों का मानना है कि हिन्दी दस–बारह प्रदेशों की भाषा है। इसे समस्त भारतीयों पर थोपा नहीं जा सकता है। यहां हिन्दी भाषा को किसी पर थोपने की बात नहीं है बल्कि समस्त भारतीय अपनी राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए खुले मन से हिन्दी को स्वीकार कर रहा है। सर्वाधिक हिन्दी का विरोध दक्षिण भारत में होता रहा है परन्तु इक्कीसवीं सदी में दक्षिण भारतीय युवा वर्ग हिन्दी का स्वागत ही नहीं कर रहा है बल्कि आत्मसात कर रहा है। वह हिन्दी भाषा के साथ मातृभाषा जैसा व्यवहार कर रहा है। इस कारण हिन्दी को प्रादेशिक संकीर्णता में नहीं बांधा जा सकता है। ''प्रादेशिक हिन्दी की संकीर्णता राष्ट्र भाषा हिन्दी के मानवता का मापदण्ड नहीं।''[10] राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं प्रादेशिक हिन्दी को अलग–अलग नहीं माना जा सकता है। दोनों में सामंजस्य आवश्यक है। हिन्दी प्रादेशिक स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर आ गयी है। इसका मापदण्ड भी राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। इसी कारण विद्या विनोद गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ''हिन्दी आज भारत की राष्ट्र भाषा है।''[11] हिन्दी भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा से आगे बढ़

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org

रही है। भारतवासी जिस देश में जाते हैं, वहां अपनी भाषा भी ले जाते हैं। इस कार्य में शिक्षित एवं धन सम्पन्न व्यक्ति की अपेक्षा मजदूर वर्ग अधिक सहायक है। शिक्षित व्यक्ति जिस देश में जाता है वहां की भाषा एवं संस्कृति को अपना लेता है जबकि मजदूर वर्ग अपने साथ अपनी भाषा एवं संस्कृति ले जाता है। माना कि इसके लिए मजदूर वर्ग की मजबूरी होती है। उसे विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं रहता परन्तु यह अनिवार्य सत्य है कि हिन्दी भाषा को वैश्विक भाषा बनाने में मजदूर वर्ग की अत्यधिक भूमिका है। भारत के बाहर हिन्दी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव मॉरिशस देश है। मॉरिशस देश सहित कई अन्य राष्ट्र हिन्दी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने में सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। ''भारत से इतर देशों में मॉरिशस ही अग्रगण्य देश है जो हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने के लिए आवाज बुलन्द करता रहता है।''[12]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत जैसे विशाल देश में एक भाषा को अपनाना कठिन है। क्षेत्र विशेष की भाषा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी किसी एक भारतीय भाषा को सम्पर्क भाषा एवं आधार भाषा की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस कार्य के लिए हिन्दी भाषा सर्वाधिक उपयुक्त है। हिन्दी ही सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर चल सकती है। इस सन्दर्भ में रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन सार्थक प्रतीत होता है–''भारतीय भाषाएं नदियाँ हैं और उनमें हिन्दी महानदी है।''[13] हिन्दी की क्षमता एवं योगदान को देखते हुए भारत की सभी महान विभूतियों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है। डॉ0 जाकिर हुसैन ने कहा था–''हिन्दी देश की एकता की कड़ी है।''[14] लोकमान्य बालगंगाधर तिलक एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा–''राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार से हिन्दी ही ऐसी भाषा है।''[15] विनोवा भावे ने हिन्दी के सन्दर्भ में यहां तक कह दिया कि–''मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता।''[16] इसी प्रकार की विचारधारा लगभग सभी भारत के महापुरुषों की रही है। भारतीय आजादी के पश्चात् भी हिन्दी साहित्यकारों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विकास ही रहा है। हिन्दी के साहित्य को वर्ग, जाति या क्षेत्र का साहित्य न मानकर समस्त राष्ट्र का साहित्य मानना आवश्यक है। इसी से एकता का स्वर बनता है। यह वर्तमान भारतीय समाज में भी समता एवं अखण्डता की भाषा के रूप में विकसित होने का प्रयास कर रही है। परन्तु इसके बावजूद कुछ पूँजीपतियों एवं संकीर्ण नेताओं के कारण हिन्दी को गौरवशाली स्थान नहीं मिल पा रहा है। कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के नेता हिन्दी का विरोध कर स्थानीय नेता बनने का प्रयास करते हैं। हालांकि इक्कीसवीं सदी में साधारण जनता स्थानीय नेताओं को समझ गयी है। वह हिन्दी को हृदय से स्वीकार कर रही है। उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारतीय हिन्दी को अपनी मातृभाषा मानने लगे हैं। यहां तक कि विश्व के कई देशों में रह रहे भारतीय नागरिक हिन्दी को वैश्विक भाषा बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आशा है निकट भविष्य में ही हिन्दी अपना नवीन स्वरूप निश्चित करके, विकास की सीढ़ी से अग्रसर होकर भारत के साथ विश्वव्यापी भाषा बन जाएगी।

सन्दर्भ सूची

- डॉ0 कृष्ण बीर सिंह–''हिन्दी शिक्षण'', यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर (2011), पृष्ठ–55
- लक्ष्मी कुट्टी अम्मा– ''सम्पर्क भाषा हिन्दी और शिक्षण'', उपासना प्रकाशन, इलाहाबाद (1997), पृष्ठ 41
- डॉ0 महेन्द्र सिंह राणा–''आधुनिक हिन्दी शिक्षण'', हर्षा प्रकाशन, आगरा (2004), पृष्ठ 31 वही, पृष्ठ 4
- विद्या विनोद गुप्ता–''हिन्दी शिक्षा और साहित्य'', भागीरथ सेवा संस्थान, गाजियाबाद (1998), पृष्ठ 162
- कन्हैया लाल गांधी–''हिन्दी की भागीरथ यात्रा'', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली (1998), पृष्ठ 159
- डॉ0 आरसु–''भारतीय साहित्य : आशा और आस्था'', राधा कृष्ण प्रकाशन प्रा0लि0, नई दिल्ली (2011), पृष्ठ 26
- डॉ0 महेन्द्र सिंह राणा–''आधुनिक हिन्दी शिक्षण'', हर्षा प्रकाशन, आगरा (2004), पृष्ठ 33
- डॉ0 मुकेश अग्रवाल–''वर्तमान सन्दर्भ में हिन्दी'', तरुण प्रकाशन, गाजियाबाद (2012), पृष्ठ 15
- डॉ0 कृष्ण बीर सिंह–''हिन्दी शिक्षण'', यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर (2011), पृष्ठ 37
- विद्या विनोद गुप्ता–''हिन्दी शिक्षा और साहित्य'', भागीरथ सेवा संस्थान, गाजियाबाद (1998), पृष्ठ 161
- डॉ0 सतीशचन्द्र अग्रवाल–''मॉरिशसीय हिन्दी भाषा और साहित्य'', अमर प्रकाशन, मथुरा (2005), पृष्ठ 40
- डॉ0 रामगोपाल शर्मा 'दिनेश'–''राष्ट्र भाषा हिन्दी और शिक्षा'', माया प्रकाशन मंदिर, जयपुर (2007), पृष्ठ 16
- वही, पृष्ठ 16
- वही, पृष्ठ 17
- वही, पृष्ठ 16

Copyright © 2017 Published by kaav publications. All rights reserved www.kaavpublications.org